तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज प्रार्थना पत्र/टीए/4837/2006/जयपुर मोहनलाल बनाम बसन्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री हेमन्त सोगानी, अधिवक्ता, प्रार्थी **आदेश** **दिनांकः– 31–07–2019** हस्तगत मामले में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 व 152 के तहत माननीय मण्डल की एकल पीठ द्वारा दिनांक 15–02–2006 अध्यासित निर्णय में रही लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि माननीय मण्डल की एकल पीठ द्वारा आलोच्य निर्णय के तहत टंकण त्रुटि के कारण निर्णय के पैरा संख्या 7 में लिपिकीय त्रुटि होने से धारा 151, 152 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर इसे दुरुस्त किया जाये। हमने मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–02–2006 का अध्ययन किया। मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ ने उक्त आदेश के क्रियात्मक भाग में निम्नानुसार अभिमत दिया हैः– "Any act carried out against the law is a nullity and ab initio void. It is admitted that the mother was not recorded and only the name of son was recorded. This is a travesty. A document executed in violation of law is ab initio void and a nullity in the eyes of law. Hence, it is not possible for this court to recog nize this piece of paper as having any force at all. 2004(8) SCC page 706 is the authoritative pronouncement of the Hon'ble Supreme Court in such questions and it is unambiguously laid down that the only treatment such documents deserve when they come to the notice of court at any stage, or in any kind of collateral proceedings is that they should be set aside. Accordingly I set aside the mutation. Any subsequent sale by Mohanlal is also void being but by S.52 of Transfer of Property Act and the sale is also set aside,	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **प्रार्थना पत्र/टीए/4837/2006/जयपुर** **मोहनलाल बनाम बसन्ती**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	and declared void. The sale deed need not be got expressly cancelled by a civil court as laid down in 1984 RRD page 280 by the Hon'ble Rajasthan High Cour. 7- The revision is accordingly allowed in the above terms". मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ के द्वारा दिए गए उक्त अभिमत के मद्देनजर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारवान पाया जाता है। एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय में रही लिपिकीय त्रुटि दुरुस्त योग्य है। अतः आदेश है कि – माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-02-2006 के पैरा संख्या 7 में निगरानी को स्वीकार के स्थान पर ''खारिज'' पढ़ा जाये। उक्तानुसार इस आदेश को निर्णय दिनांक 15-02-2006 का भाग समझा जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **प्रार्थना पत्र/टीए/4837/2006/जयपुर** **मोहनलाल बनाम बसन्ती**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए